# न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

**निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस**

प्रकरण संख्या **08/2017 प्रार्थना पत्र रसद**

राज्य सरकार जरिये प्रद्युम्नसिंह प्रवर्तन अधिकारी, उदयपुर

**...................प्रार्थी**

**बनाम**

1. श्री ताराचन्द जैन उचित मुल्य दुकानदार 56 ब्रम्हपोल बाहर, उदयपुर
2. श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री मीठालाल जैन, निवासी 450, कुम्हारवाड़ा, उदयपुर

**.........रेस्पोडेंटगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सपठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2001 के क्लॉज 10 के तहत जब्तशुदा 276.50 लीटर केरोसीन व 49 किलो गेहूँ मय बारदाना को राजसात करने के कम में**

**उपस्थित–** 1. श्री विजयसिंह, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2. श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री हरीश आहूजा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

## निर्णय

**दिनांक– 02.05.2018**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.06.17 को जिला रसद अधिकारी द्वारा उचित मुल्य दुकान ब्रम्हपोल की प्राप्त शिकायत पर जॉच किये जाने के निर्देश दिये जाने पर श्री ताराचन्द जैन डिलर उचित मुल्य की दुकान ब्रम्हपोल की जॉच की गई। वक्त जॉच दुकान से लगभग 50 फीट की दुरी पर टीवीएस स्कूटी आर जे 27 एस ए 5849 पर एक प्लास्टिक के कट्टे में गेहूँ तथा पीले रंग के जरिकेन में केरोसीन रखा पाया। जिसे दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओ में वितरीत नहीं कर बचाकर

अपने मित्र को कालाबाजारी करने हेतु देना बताया। जिस पर स्कूटी के मालिक श्री रमेश चन्द्र जैन से पूछने पर उसके द्वारा श्री ताराचन्द जैन उचित मुल्य दुकानदार से गेहूॅ लगभग 14 रूपये प्रतिकिलो एवं नीला केरोसीन 30 रूपये प्रति लीटर से इच्छित ग्राहको को बेचने हेतु देना बताया। श्री रमेश चन्द्र द्वारा पूर्व में भी इसी प्रकार डीलर से गेहूॅ लेना भी बताया। रमेश चन्द्र खाद्य सुरक्षा योजना का लाभार्थी भी नहीं हैं। मौके पर वार्ड के जागरूक उपभोक्ताओ के प्रयास के कारण राशन का गेहूॅ व नीला केरोसीन कालाबाजारी में जाने से बच गया। उक्त गेहूॅ व केरोसीन का नाप करने पर गेहूॅ कुल 49 किलो एवं नीला केरोसीन 20 लीटर होना पाया गया। सेन्टर की जॉच करने पर सेन्टर पर माह अप्रेल व मई 2017 में कुल 350 लीटर केरोसीन प्राप्त हुआ। डीलर द्वारा पीओएस मशीन से 236.5 लीटर केरोसीन वितरण करना पाया गया। डीलर के पास स्टॉक में अवशेष 113.5 लीटर केरोसीन होना चाहिये। गोदाम का भौतिक सत्यापन करने पर एक ड्रम भरा हुआ जिसमें 220 लीटर व एक ड्रम में 150 लीटर कुल 370 लीटर केरोसीन भण्डारित पाया गया जो स्टॉक के मुकाबले 256.5 लीटर अधिक होने के कारण उसे भी जब्त कर श्री दिनेश गावरी उचित मुल्य दुकानदार अम्बामाता को सिपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार उचित मुल्य दुकानदार श्री ताराचन्द जैन एवं श्री रमेश चन्द्र जैन द्वारा उक्त कृत्य कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 तथा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 11, 17 सी व 18 के अधिमान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के क्लॉज 6 (4) का उल्लंघन किया हैं। अतः जब्तशुदा 276.50 लीटर नीला केरोसीन व 49 किलो गेहूॅ मय बारदान के राजसात कराने का श्रम करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कर अपने जवाब में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। पिछले कई वर्षो से उचित मुल्य की दुकान चलाई जा रही है इस दर्मियान किसी के द्वारा शिकायत नहीं की गई। स्टॉक में जो 256.5 लीटर केरोसीन अधिक बताया गया है वास्तविकता में पीओएस मशीन में माह सितम्बर 2016 का पुराना स्टॉक नहीं जोड़ने के कारण आया है जबकि विपक्षी संख्या 1 द्वारा जो रेकार्ड संधारित किया गया है उसमें सही स्टॉक आया हैं। इसलिये विपक्षी संख्या 1 माल को प्राप्त करने का अधिकारी हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं की गई है नाही अनियमितता की गई हैं। अतः की गई कार्यवाही को ड्रोप की जाकर 256.5 लीटर केरोसीन पुनः दिलाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी उचित मुल्य की दुकान की जॉच करने पर स्टॉक के मुकाबले 256.5 लीटर केरोसीन अधिक मिला एवं दुकान से 50 फीट आगे स्कूटी पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा 49 किलो का गेहॅू का कट्टा रखा हुआ मय 20 लीटर नीला केरोसीन रखा हुआ मिला जो उसने बताया कि यह गेहॅू व केरोसीन विपक्षी संख्या 1 द्वारा मण्डी में कालाबाजारी से बेचने हेतु दिया गया हैं। इसी प्रकार गेहॅू व केरोसीन पूर्व में भी दिया जाना बताया। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त कृत्य कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 तथा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 11, 17 सी व 18 के

अधिमान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के क्लॉज 6 (4) का उल्लंघन किया जाना स्पष्ट रूप से पाया जाता हैं। अतः 276.50 लीटर नीला केरोसीन व 49 किलो गेहूॅ को राज्यसात किया जाना फरमावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 की कभी भी शिकायत नहीं हुई। विपक्षी संख्या 2 के कब्जे में नीला गेहूॅ व केरोसीन का विपक्षी से कोई संबंध नहीं हैं। जहॉ तक स्टॉक में केरोसीन के अधिक मिलने की बात है तो यह केरोसीन माह सितम्बर 2016 का पुराना स्टॉक है जो वक्त निरीक्षण स्टॉक को जोड़ा नहीं जाने से अधिक आया हैं। अतः जब्तशुदा केरोसीन को पुनः विपक्षी संख्या 1 को सिपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। बहस पर मनन एवं उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय का मत है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब के साथ में जो मासिक गोश्वारे का मानचित्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसका अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि फरवरी 2017 में मात्र 3 लीटर केरोसीन ही पोते था तो फिर उसके द्वारा सितम्बर 2016 का स्टॉक केरोसीन को इन मासिक मानचित्रो में क्यो नहीं बताया गया। जहॉ पर विपक्षी संख्या 2 स्वयं द्वारा वक्त निरीक्षण बताया गया कि यह गेहूॅ डीलर ताराचन्द जैन द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसे कालाबाजारी में बेचे जाने हेतु दिया गया है व केरोसीन को मेरे घर पर ही इच्छित ग्राहको को बेचना बताया हैं। साथही यह भी बताया कि डीलर द्वारा पूर्व में भी मूझे गेहूॅ दिया गया है जबकि विपक्षी संख्या 2 खाद्य सुरक्षा योजना का लाभार्थी भी नहीं

हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 का जवाब स्वीकार योग्य नहीं हैं एवं प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 उचित मुल्य दुकानदार श्री ताराचन्द जैन एवं श्री रमेश चन्द्र जैन द्वारा उक्त कृत्य कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 तथा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 11, 17 सी व 18 के अधिमान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के क्लॉज 6 (4) का उल्लंघन किया जाना पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 276.50 लीटर नीला केरोसीन व 49 किलो गेहॅू मय बारदान के राज्यसात करने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी, प्रथम, उदयपुर को यह निर्देश दिये जाते है कि 276.50 लीटर नीला केरोसीन मय 49 किलो गेहॅू का वितरण वैध उपभोक्ताओ में पीओएस मशीन से करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जरिये चालान से जमा करा चालान की प्रति न्यायालय हाजा को प्रेषित करें।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी प्रथम, उदयपुर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
**जिला कलक्टर**
**उदयपुर**